

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

श्रीमती आभा कुमारी

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2015 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 17189

21 सितम्बर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या 30.6.2015 को समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के विशेष सचिव द्वारा पारित दंडादेश विधिसम्मत था, आरोपों, जांच प्रतिवेदन और कारणयुक्त आदेश की कानूनी आवश्यकता के आलोक में?

हेडनोट्स

वर्तमान मामला साक्ष्यहीन है। - 30.6.2015 का दंडादेश न केवल संक्षिप्त और अस्पष्ट है, बल्कि यह गैर-विवेचित आदेश है, जो पूर्णतः मस्तिष्क के गैर-प्रयोग को दर्शाता है, क्योंकि इसने अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव पर विचार नहीं किया, साथ ही प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा दंडादेश देने हेतु कोई स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारण भी नहीं दिए गए। यह स्थापित विधि है कि दंडादेश का समर्थन करने हेतु स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारण देना निर्णय प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। (पैरा - 7)

याचिका स्वीकृत की जाती है। (पैरा - 9)

न्याय दृष्टान्त

रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य, (2009) 2 एससीसी 1970; उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा, (2010) 2 एससीसी 772; जनेश्वर सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2022 (1) पीएलजेआर 169; डॉ. कमला सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2023 (1) पीएलजेआर 803; ओरिक्स फिशरीज प्रा. लि. बनाम भारत संघ, (2010) 13 एससीसी 427

अधिनियमों की सूची

बिहार सीसीए नियमावली, 2005

मुख्य शब्दों की सूची

विभागीय कार्यवाही, अर्द्ध-न्यायिक कार्य, दंडादेश, संक्षिप्त आदेश, साक्ष्य का अभाव, कारणयुक्त निर्णय, अनुशासनात्मक प्राधिकारी, कारण बताओ नोटिस, जांच प्रतिवेदन, निलंबन अवधि

प्रकरण से उत्पन्न

30.6.2015 को समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के विशेष सचिव द्वारा पारित दंडादेश को चुनौती।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री सुबोध कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से: श्री आदित्य नाथ झा, ए.सी. टू एससी-18

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2015 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 17189

=====

श्रीमती आभा कुमारी, पति श्री कृष्ण प्रसाद, भभुआ जिला-कैमूर में बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में पदस्थ।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. श्री संदीप पौड्रिक, सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. श्री बीरेंद्र कुमार, विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीतामढ़ी।
6. श्री उपेंद्र झा, उप निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय-सह-जांच अधिकारी, पटना।

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुबोध कुमार सिन्हा, अधिवक्ता।

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री आदित्य नाथ झा, एसी से एससी-18

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीख:21-09-2023

वर्तमान रिट याचिका विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 30.06.2015 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. वर्तमान मामले का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ 23.6.2010 के आदेश द्वारा विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी और उसे आरोप-पत्र सौंपा

गया था, जिसके बाद उसने 21.7.2010 को अपना कारण बताओ जवाब प्रस्तुत किया था और जाँच अधिकारी ने विभागीय कार्यवाही की थी, जिसके बाद उसने 19.10.2010 को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें याचिकाकर्ता को दोषमुक्त किया गया था। फिर भी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 16.5.2011 को एक दंड आदेश पारित किया था, जिसमें संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया था और यह भी निर्देश दिया गया था कि निलंबन अवधि के लिए उसे पहले से दिए जा चुके निर्वाह भत्ते के अलावा कोई भुगतान नहीं मिलेगा। याचिकाकर्ता ने तब अपील दायर की थी, हालाँकि, दिनांक 29.11.2011 के आदेश द्वारा उसे खारिज कर दिया गया था।

3. उपरोक्त दो आदेशों दिनांक 16.5.2011 और 29.11.2011 को याचिकाकर्ता द्वारा 2012 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 15083 वाली एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 7.2.2013 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी और दिनांकित 16.5.2011 और 29.11.2011 के विवादित आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने के कारणों का खुलासा करने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया था और इस तरह के अंतर के संबंध में याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया था। इसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 4.3.2015 को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिस पर याचिकाकर्ता ने दिनांक 7.4.2015 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपना बचाव प्रस्तुत किया और कहा कि चूँकि वह उस समय बाल विकास परियोजना अधिकारी, नानपुर, सीतामढ़ी के पद पर तैनात थी, इसलिए उसने सभी सावधानियां बरतीं और वास्तव में, संबंधित केंद्र की सेविका को भी उक्त सेविका द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था, और यह भी कि उस पर संबंधित केंद्र में किसी भी अनियमितता में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया गया है, जो कि जाँच अधिकारी द्वारा 19.10.2010 को प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट से भी प्रमाणित होता है। इस प्रकार, यह

प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामला बिना किसी सबूत का मामला है, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई सजा नहीं दी जा सकती है। मामले का यह पहलू अब एकीकृत नहीं है, क्योंकि इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य*, (2009) 2 एससीसी 1970 में रिपोर्ट किए गए मामले में विचार किया गया है, और साथ ही *उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा*, (2010) 2 एससीसी 772 में रिपोर्ट किए गए मामले में भी विचार किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे दलील दी है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 30.6.2015 का आक्षेपित आदेश यह दर्शाता है कि यह केवल तथ्यों का विवरण मात्र है और इसमें न तो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष का उल्लेख है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से की गई अनियमितताओं के उदाहरणों और उनके प्रमाण का उल्लेख है, इसलिए यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, यह एक गूढ़ आदेश होने के अलावा, उचित विवेक का प्रयोग नहीं दर्शाता है, क्योंकि याचिकाकर्ता को दंड देने के लिए कोई ठोस या संक्षिप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने एक निर्णय का उल्लेख किया है, जो इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिया गया है *जनेश्वर सिन्हा बनाम बिहार राज्य और अन्य* का मामला, 2022 (1) पी. एल. जे. आर. 169, पैराग्राफ सं. 5 और 9 में रिपोर्ट किया गया जिनका पुनरुत्पादन ऊपर किया गया है:-

“5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर रहा था। इसलिए, वह याचिकाकर्ता द्वारा अपने कारण दर्शाने में उठाए गए बचाव का उल्लेख करने के लिए बाध्य था जो प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए सामग्री होती और उसके बाद एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए था। किसी भी कारण के अभाव में, विवादित आदेश मन के

गैर-अनुप्रयोग और मनमानेपन से ग्रस्त है, क्योंकि यह कानून में टिकाऊ नहीं है।

6. राज्य ने याचिकाकर्ता के दावे का विरोध करते हुए विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया है, हालांकि इस बात पर विवाद नहीं है कि विवादित आदेश याचिकाकर्ता के बचाव या उसे स्वीकार न करने के कारण का खुलासा नहीं करता है।

7. *रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक*, (2009) 2 एस. सी. सी. 570 में प्रतिवेदित, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए जाने पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "निर्विवाद रूप से, एक विभागीय कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है। जांच अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक कार्य करता है। अपराधी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित होने चाहिए। जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचे।" "इसके अलावा, अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के आदेश का किसी भी कारण से समर्थन नहीं किया जाता है। चूंकि उनके द्वारा पारित आदेशों के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं, इसलिए उचित कारण निर्धारित किए जाने चाहिए थे।"

8. स्पष्ट रूप से मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सजा देने का कोई कारण नहीं बताया है। अतः विवादित आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। इस मामले की आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ष 2001 में सेवानिवृत्त हुए याचिकाकर्ता के साथ पर्याप्त अन्याय किया गया है।

9. इसलिए अधिकारियों को निलंबन की अवधि के लिए पहले से ही

भुगतान की गई राशि को घटाकर पूरे वेतन सहित पूरे सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। निलंबन अवधि 08.03.1999 से 30.11.2000 के बीच में थी। यदि विवादित आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता से कोई वसूली की गई है तो वह भी याचिकाकर्ता को वापस किया जाए।”

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिए गए एक और फैसले *डॉ. कमला सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य* के मामले में 2023 (1) पी. एल. जे. आर. 803, पैराग्राफ नं. 7 में उल्लेखित, का उल्लेख किया है जिसका पुनरुत्पादन नीचे किया गया है:-

“7. जहाँ तक याचिकाकर्ता के दूसरे तर्क का संबंध है, उसी में सार है। सजा के आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के कारण बताए जवाब पर विचार या चर्चा किए बिना, आक्षेपित आदेश को यंत्रवत रूप से पारित कर दिया है। विवादित आदेश में इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई है कि दूसरे कारणदर्शक नोटिस पर याचिकाकर्ता का जवाब अनुशासनात्मक प्राधिकरण को उसमें लिए गए बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कैसे स्वीकार्य नहीं था। इस मामले में, दंड का आदेश विवेक के प्रयोग का खुलासा नहीं करता है। बिहार सी. सी. ए. नियम, 2005 के नियम 19 के अनुसार, संबंधित अधिकारियों पर यह दायित्व है कि वे कर्मचारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करें और इस तरह के विचार का अर्थ है दिमाग का एक सचेत अनुप्रयोग और उद्देश्यपूर्ण आधार पर कर्मचारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करना। इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा *डॉ. रवींद्र नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य*, 1983 में

प्रकाशित पीएलजेआर 92 के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन में पालन की जाने वाली प्रक्रिया का पालन किया गया है, इसलिए, यह न्यायालय अपील में नहीं बैठेगा और साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं करेगा, इस प्रकार, दिनांक 30.6.2015 के विवादित आदेश में कोई कमजोरी नहीं है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है। अभिलेखों से यह स्पष्ट है, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा वर्णित किया गया है और पूर्ववर्ती पैराग्राफ में ऊपर दर्ज किया गया है कि वर्तमान मामला बिना किसी सबूत का मामला है। इस न्यायालय ने आगे पाया कि दिनांकित 30.6.2015 का विवादित आदेश न केवल गुप्त है, बल्कि एक अनुचित आदेश भी है, जो बुद्धि के पूर्ण गैर-अनुप्रयोग को दर्शाता है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव को ध्यान में नहीं रखा गया है, इसके अलावा कोई स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारण नहीं हैं, जो याचिकाकर्ता को सजा देने के निर्णय पर आने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। यह एक तुच्छ कानून है कि विवादित आदेश के समर्थन में स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारणों को प्रस्तुत करना निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *ओरिक्स फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ* मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जो (2010) 13 एससीसी 427 में रिपोर्ट किया गया था।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, मैं दिनांक 30.6.2015 के विवादित आदेश को रद्द करना उचित और उचित समझता हूँ और साथ ही प्रतिवादी अधिकारियों को इस मामले में आगे कोई कार्यवाही करने से रोकता हूँ, क्योंकि याचिकाकर्ता को वर्ष 2010 से ही उसके सिर पर तलवार लटकाए रखने के कारण बहुत परेशान किया जा रहा है और साथ ही याचिकाकर्ता के साथ पर्याप्त अन्याय

भी किया जा रहा है।

9. रिट याचिका की अनुमति है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

अजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।